

भारत में शैक्षिक नियोजन [Educational Planning in India]

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास नियोजन के लिए 1854 ई० में हुआ था जब चार्ल्स फुड के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र ने भारत में नियोजित शिक्षा का प्रारम्भ किया। कुछ शिक्षा शास्त्री भारत में नियोजन की अवधारणा का कर्तृत्व प्रारम्भ 1938 से मानते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति की। इस समिति में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्यमंत्री, चुने हुये उर्ध्वशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, जन प्रतिनिधि एवं सरकार द्वारा मनो नीत सदस्य थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार में नियोजन एवं विकास विभाग बनाया गया जिसका कार्य उपयुक्त विकास के धोरण में सुझाव देना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। एक नियोजन समिति (Planning Commission) का निर्माण किया। समिति तब से अनेक पंचवर्षीय योजनाएँ, वार्षिक योजनाएँ तथा शील्डिंग योजना (1978-83) तैयार करने में व्यस्त रही। इस नियोजन समिति की स्थापना से भारत में नियोजन एक स्थापित क्रिया बन चुकी है। समिति के शिक्षा विभाग की अध्यक्षता शिक्षा प्रमुख के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में योजना विकास के लिए एक अलग विभाग होता है जिसकी अध्यक्षता एक सचिव के द्वारा की जाती है। जो कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (I.A.S.) होता है।

शैक्षिक नियोजन के सिद्धान्त (Principles of Educational Planning)

शैक्षिक नियोजन के सिद्धान्तों को लेकर जो मुख्य विचार विभिन्न लेखकों व शिक्षाशास्त्रियों द्वारा दिये गये हैं उनमें से हम यहाँ पर दो विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

इलियट स्पेड मॉसिथर (Elliot and Mosier, 1945):- इन्होंने

शैक्षिक नियोजन के निम्न सिद्धान्त दिये हैं।

1. शैक्षिक नियोजन सामान्य राष्ट्रीय नियोजन का एक पक्ष होना चाहिए।

2. नियोजन में शोध को आधार के रूप में लेना चाहिए।
3. नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।
4. शैक्षिक संस्थान में नियोजन का एक निश्चित स्थान होना चाहिए।
5. नियोजन वास्तविक व व्यावहारिक होना चाहिए।
6. नियोजन में स्वयं लेने वाले सभी व्यक्तियों एवं समूहों की क्रियाशील एवं निरंतर सहभागिता होनी चाहिए।
7. नियोजन में निरंतर मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए।
8. नियोजन में भावी कार्यों में परिवर्तन लाने के अनुसार होने चाहिए।
9. नियोजन में विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। लेकिन उनमें उनका प्रभुत्व नहीं होना चाहिए।
10. नियोजन में सभी व्यक्तियों एवं समूहों को अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे योजनाओं को समझ सकें तथा उनकी प्रशंसा कर सकें।

जैसी बी. सीजर्स (Jesse B. Sears, 1950) :- नें नियोजन पर विचार करते

समय निम्नलिखित सिद्धान्तों पर बल दिया।

1. नियोजन की ऐसी प्रक्रिया को प्रारम्भ करना जिसमें सत्ता, ज्ञान, व्यक्तित्व स्वयं सामाजिक बल शामिल हो।
2. उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि नियोजन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है।
3. योजनाएं तैयार करना, जिसमें उनकार्यों को वास्तविक एवं क्रियाशील रूप में रखा जाना है जो कि उनके विकल्पों को समझने के बाद किये जाते हैं।
4. वर्तमान तथ्यों का अध्ययन जिसमें उन बातों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण आता है जिनका नियोजन की प्रक्रिया में देखा जाना है।
5. कुछ अन्य कारक जिनका ध्यान रखा जाना है जैसे योजना निर्माताओं का चुनाव, नियोजन मशीनरी का निर्माण (समितियाँ) तथा नियोजन सेवा का अनुरक्षण।

शैक्षिक नियोजन के उपागम (Approaches of Educational Planning)

शैक्षिक नियोजन एक प्रकार का केन्द्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युक्ति निर्माण है। इसमें लक्ष्यों का निर्धारण, धारणाओं बनाना, विकल्पों को खोज तथा अन्त में वरीयता पर आधारित एक व्यापक योजना तैयार करना शामिल है। यह दृष्टिकोण जो केन्द्रीय विन्दु का निर्माण करता है, जिसके लिए कि नियोजन किया जाता है, नियोजन के लिए एक विशिष्ट मॉडल या उपागम प्रदान करता है।

शैक्षिक नियोजन के वैसे ही बहुत से मॉडल हैं किन्तु उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:-

(1) मानव शक्ति उपागम या मॉडल (Manpower Approach) :-

नियोजन का यह मॉडल 'मानव संसाधन विकास' के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था को अपनी दक्ष क्रिया के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस धारणा के अनुसार

मानव शक्ति की मांग परिवर्तनीय है, और तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ बदलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास मानव संसाधन के विकास के रूप में जाने जाते हैं।

इस मांग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की जैसे - इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, स्टाफ तथा परामर्शदाता आदि को तैयार किया जाना चाहिए, जिनकी सेवा में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मांग है। इनकी मांग से कम तथा अधिक संख्या में तैयार करना नियोजन में असफलता कही जायेगी। शिक्षा में नियोजन का यह मॉडल तब उन्नत और महत्वपूर्ण ही जाता है जब शिक्षा को राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक माध्यम (तत्व) माना जाता है।

भौतिक साधनों में मिष्ट उत्पादन के बारे में नये विचार, नई तकनीक, एवं नया ज्ञान उस दर को निर्धारित करता है जिस पर राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था उन्नत हो सकेगी है। यही शिक्षा का भोगदान है। इस उपागम की धारणा है कि यह राष्ट्र की वृद्धि में सकारात्मक रूप से भोगदान देती है। अतः शिक्षा को कोशल-प्रकृत (Skill-intensive) तथा आवश्यकता पर आधारित (need based) माना जाता है।

(2) सामाजिक मांग उपागम (Social demand Model)

विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करने उसी क्षेत्र में रहने, तथा आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या समाज की शिक्षा के लिए सामाजिक मांग को प्रकृत करती है। शिक्षा के लिए सामाजिक मांग मानवशक्ति आवश्यकता की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। तथा कुछ अवसरों पर शिक्षित बेरोजगारी से बढ़ती है।